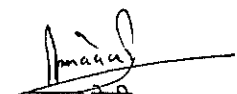


**विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0
सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर:-**

	प्रश्न	उत्तर
1(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक एवं प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना(एन0पी0एस0) के अन्तर्गत एन0पी0एस0 योजना से आच्छादित होने के उपरान्त भी न तो उनके वेतन से कटौती की जा रही है और न ही राज्यांश ही दिया जा रहा है?	जी नहीं।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त उन शिक्षकों का एन0पी0एस0 योजना से सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	विवरण निम्नवत् है:- जनपद आजमगढ़- दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद आजमगढ़ में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 1679 शिक्षक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित है एवं 1383 शिक्षकों की उनकी नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है। शेष 296 में से 22 शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं का एन०पी०एस० खाता माह जनवरी 2025 में जारी किया गया, जिसमें माह फरवरी 2025 से कटौती की जायेगी तथा शेष 274 शिक्षकों द्वारा प्रान नम्बर के लिये आवेदन न किये जाने के कारण पेंशन अंशदान की कटौती नहीं की जा रही है। जनपद मऊ- दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद मऊ में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 947 शिक्षक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित है एवं समस्त शिक्षकों का प्रान नम्बर आवंटित कर पेंशन अंशदान की उनकी नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है। जनपद बलिया- दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद बलिया में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 912 शिक्षक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित है एवं 879 शिक्षकों की उनकी नियुक्ति तिथि से अपेक्षित कटौती की जा रही है एवं राज्यांश दिया जा रहा है। शेष 33 शिक्षकों का अन्य जनपदों से बलिया जनपद में स्थानान्तरण होने के कारण प्रान शिफ्टिंग की प्रक्रिया गतिमान है, जिससे इन 33 शिक्षकों में पेंशन अंशदान की कटौती नहीं हो पा रही है।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।


(गुलाब देवी)

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)